न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, दुमका

आवेदन पत्र वाद सं0-196/17

मोतीलाल मरांडी वगै0 बनाम मशीचरण मरांडी वगै0

धारा144 द0प्र0स0

आदेश की क्रम सं0और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
22/11/17	**आदेश** प्रस्तुत कारवाई थाना प्रभारी दुमका (मु0) थाना के अप्राथमिकी सं0-03/17 से प्राप्त प्रतिवेदन पर दोनों पक्षों को सुनवाई हेतु नोटिश निर्गत किया गया। दोनों पक्षों से कारण पृच्छा प्राप्त । दुमका (मु0) थाना अन्तर्गत मौजा दोमुहानी के जमावंदी सं0-07 दाग सं0-1207 रकवा 2 बीधा भूमि पर द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने के विन्दु पर दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना। प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विषयगत भूमि विगत खतियान में किशुन मुर्मू के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत किशुन मुर्मू को दो पुत्री वारिश लुपसी मुर्मू एवं पेन्दुलु मुर्मू। खतियानी रैयत दोनों पुत्री की शादी संथाली रीति से साधारण रीति रिवाज के अनुसार किया तथा खतियानी रैयत ने अपने जीवन काल में ही दोनों पुत्री को हिस्सा भी कर दिये। खतियानी रैयत के मृत्युपरांत दोनों बहन साथ में रहकर समान खर्च कर श्राद्ध कर्म एवं अंतिम क्रिया किया तथा अपने अपने हिस्से की भूमि जोत आवाद करने लगी। प्रथम पुत्री लुपसी मुर्मू बिमार रहती थी, इसलिए अपने छोटी बहन पेन्दुलु मुर्मू को खेती वारी करने के लिए दे दिए तथा अपना हिस्सा लेती रही। प्रथम पक्ष लुपसी मुर्मू के वारिश है जबकि द्वितीय पक्ष पेन्दुलु मुर्मू के वारिश है। लेकिन जब प्रथम पक्ष को पता चला कि पेन्दुलु मुर्मू के पुत्र द्वारा विषयगत भूमि हाल खतियान में नाम दर्ज करा लिया है , तब प्रथम पक्ष अपना खेती करना चाहने लगा तो द्वितीय पक्ष जबरन खेती करने नहीं दिये तथा किसी बाहरी व्यक्ति को जमीन बेचने कार्य आरंभ कर दिये । मना करने पर जान से मारने की धमकी देते है। जिसके कारण पक्षकारों के बीच काफी तनाव बना हुआ है तथा शांति भंग होने की संभावना बनी हुई है। इसलिए पक्षकारों के बीच शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु विषयगत भूमि पर द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया जाय। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि विषयगत भूमि विगत खतियान में किशुन मुर्मू के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत किशुन मुर्मू को दो पुत्री वारिश लुपसी मुर्मू एवं पेन्दुलु मुर्मू। खतियानी रैयत की प्रथम पुत्री लुपसी मुर्मू की शादी साधारण रिति रिवाज से हुआ है तथा दूसरी पुत्री पेन्दुलु मुर्मू की शादी घरजमाई रूप में काली चरणमरांडी के साथ हुई। तभी से पेन्दुलु मुर्मू अपने पिता के साथ रहकर अपने पिता की सेवा की। इनके मृत्युपरांत इनके पुत्र किशुन मरांडी विषयगत भूमि के दखल कब्जे में आये तथा वर्त्तमान खतियान में इनका नाम दर्ज किया गया। प्रथम पक्ष लुपसी मुर्मू के वारिश है तथा द्वितीय पक्ष पेन्दुलु मुर्मू के वारिश है। लुपसी मुर्मू के साधारण रीति से शादी होने के कारण इनके वारिश का विषयगत भूमि पर किसी प्रकार का दावा नही बनता है। पेन्दुलु मुर्मू की शादी संताल रीति रिवाज से घरजमाई रूप में हुई है जिसका वारिश द्वितीय पक्ष है।	

आदेश की क्रम सं0और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	कार्रवाई टिप्पणी
1	2	3

इसलिए द्वितीय पक्ष का विषयगत भूमि पर बैद्य हक एवं अधिकार बनता है एवं दखल कब्जे में रहे है तथा इनके पिता का नाम वर्त्तमान खतियान में दर्ज किया जा चुका है। इस प्रकार आवेदक का आवेदन पत्र न्यायसंगत नहीं है। इसलिए आवेदक का आवेदन पत्र को निरस्त किया जाय।

थाना प्रभारी ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेख किये है कि दोनों पक्ष विवादित भूमि पर अपना अपना दावा करते है एवं विवादित भूमि पर निर्माण कार्य को लेकर तनाव है। इसलिए विवादित भूमि पर धारा 144 द0प्र0स0 के तहत कार्यवाही प्रारंभ किया जाय। दोनों पक्षों के वीच शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पूर्व में धारा 107 द0प्र0स0 की कार्यवाही किया जा चुका है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध लेख्यात्मक साक्ष्यों का अवलोकन किया। विषयगत भूमि विगत खतियान में किशुन मुर्मू के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत किशुन मुर्मू को दो पुत्री वारिश लुपसी मुर्मू एवं पेन्दुलु मुर्मू। प्रथम पक्ष लुपसी मुर्मू के वारिश है तथा द्वितीय पक्ष पेन्दुलु मुर्मू के वारिश है। प्रथम पक्ष का दावा है कि दोनों पुत्री के वीच खतियानी रैयत द्वारा हिस्सा कर दिया गया है। लेकिन द्वितीय पक्ष के पूर्वज प्रथम पक्ष के अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए वर्त्तमान खतियान में नाम दर्ज करा लिये है एवं विषयगत भूमि किसी बाहरी व्यक्ति के साथ बेचने का कार्य आरंभ कर दिये है। जबकि द्वितीय पक्ष का दावा है कि द्वितीय पक्ष के पूर्वज पेन्दुलु मुर्मू की शादी घरजमाई रूप में हुई है। इसलिए द्वितीय पक्ष का विषयगत भूमि पर बैद्य हक एवं अधिकार बनता है तथा ये इसके शांतिपूर्ण दखल कब्जे में है। प्रथम पक्ष के पूर्वज लुपसी मुर्मू की शादी साधारण रीति से हुआ है । इसलिए प्रथम पक्ष का विषयगत भूमि पर किसी प्रकार का दावा नहीं बनता है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विषयगत भूमि विगत खतियान में किशुन मुर्मू के नाम से दर्ज है तथा वर्त्तमान खतियान में किशुन मरांडी के नाम से दर्ज है। दोनों पक्ष विगत खतियानी रैयत किशुन मुर्मू वारिशान होने के आधार पर विषयगत भूमि पर दखल कब्जा का दावा करते है। जबकि वर्त्तमान खतियान में विषयगत भूमि द्वितीय पक्ष के पूर्वज के नाम से दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि मामला पक्षकारों के वीच दखल कब्जा का नहीं बल्कि स्वत्व एवं स्वामित्व से संबंधित है। ऐसी स्थिति में विषयगत भूमि पर द0प्र0स0 की धारा 144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करना न्यायसंगत नहीं होगा। अतः इसे निरस्त किया जाता है।

लिखापित एवं संशोधित

अनु0 दण्डा0

अनुमंडल दण्डाधिकारी,
दुमका।

4.12.17